

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त आहरण वितरण अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 08 मई, 2017

विषय: सामान्य भविष्य निधि खाते में ऋणात्मक अवशेष के प्रकरण में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्याधीन सरकारी सेवकों के सामान्य भविष्य निधि खातों में अभिदान, जमा धनराशि पर ब्याज निर्धारण, निधि से अग्रिम एवं अन्तिम प्रत्याहरण तथा खाते में जमा धनराशि के अन्तिम भुगतान की प्रक्रिया सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में दी गई है। उक्त नियमावली के नियम-11 में खाते में जमा धनराशि पर ब्याज के निर्धारण की प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि से अधिक धनराशि का भुगतान हो जाने की स्थिति में उक्त धनराशि की वसूली की प्रक्रिया भी उक्त नियम-11 के उप नियम (6), (7) एवं (8) में दी गई है।

2- महालेखाकार कार्यालय द्वारा ऐसे कई प्रकरणों को शासन के संज्ञान में लाया गया है, जिनमें संबंधित अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि खाता में जमा धनराशि से वृत्तिपूर्ण आहरण हो जाने के कारण अंतिम भुगतान के समय ऋणात्मक अवशेष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा उक्त प्रकरणों में ऋणात्मक अवशेष की नियमानुसार वसूली किये जाने का अनुरोध संबंधित प्राधिकारी से किया गया है।

3- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य भविष्य निधि खाता से धनराशि आहरण किये जाते समय पूर्ण सावधानी बरती जाय तथा सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के सुसंगत प्राविधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ताकि ऋणात्मक अवशेष की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके अतिरिक्त मुझे यह कहने का भी निदेश हुआ है कि ऋणात्मक अवशेष के प्रकरणों के संज्ञान में आते ही संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरणों में अविलम्ब नियमानुसार वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये महालेखाकार कार्यालय को कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाय।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
अजय अग्रवाल  
सचिव

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या:- 7/2017 /जी-2 100 (1)/दस-2017- 03(जी0पी0एफ0)/17, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 4- निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 22/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

आज्ञा से,  
अर्जुन सिंह  
विशेष सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।